UTTARAKHAND HIGHER JUDICIAL SERVICE
DIRECT RECRUITMENT EXAMINATION-2021

PAPER-3

Maximum Marks: 100 **Time: 02 Hours**

Note:

(i) All questions are Compulsory.
(ii) Candidate can answer the Questions in English or in Hindi.

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 (30 Marks)

Q. 1 Distinguish between *'admission'* and *'confession'*. Can an *"admission"* be treated as substantive evidence?

'स्वीकृति' तथा *'संस्वीकृति'* में अंतर बताइए। क्या *"स्वीकृति"* को सारवान साक्ष्य माना जा सकता है?

(10 Marks)

Q. 2 Discuss the admissibility of confession made by an accused while in police custody. Examine the scope of Section 27 of the Indian Evidence Act with special reference to leading cases.

किसी अभियुक्त के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति की साक्ष्य में ग्राह्यता पर व्याख्या कीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के विषय क्षेत्र का प्रमुख मामलों के परिपेक्ष में परीक्षण कीजिए।

(10 Marks)

Q. 3 "Hearsay evidence is no evidence". Discuss and state exceptions.

अनुश्रुति साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं है। विश्लेषण कीजिए और अपवादों का उल्लेख कीजिए।

(05 Marks)

Q. 4 Write short notes on:

a. Circumstantial evidence

b. Secondary evidence

c. Doctrine of estoppel

d. *Res gestae*

e. Dying Declaration

(13)

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

क. पारिस्थितिक साक्ष्य

ख. द्वितीयक साक्ष्य

ग. विबन्ध का सिद्धान्त

घ. रेस जेस्टे

ङ. मृत्युकालिक कथन

(01 x 05 = 05 Marks)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (30 Marks)

Q. 5 Explain "Res-judicata" and "Constructive Res-judicata".

"पूर्व न्याय" और "आन्वयिक पूर्व न्याय" को स्पष्ट करें।

(05 Marks)

Q. 6 What property can be attached by the court to satisfy the decree? Discuss the law.

डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय द्वारा किन संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है ? विधि की व्याख्या करें।

(05 Marks)

Q. 7 Write short notes on the following:

a. Mesne profits

b. Summary Procedure under Order 37 CPC

c. Stay of suits under Section 10 CPC

d. Who is a garnishee and state the procedure regarding garnishee proceedings.

e. Appointment of receivers

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

क. अन्तकालीन लाभ।

ख. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अंतर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया।

ग. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत वाद को रोक दिया जाना।

घ. गारनिशी कौन है? गारनिशी कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

ङ. रिसीवर की नियुक्ति।

(02 x 05 = 10 Marks)

Q. 8 What are the differences between the impleadment under Order 1 Rule 10 of the Code of Civil Procedure, and substitution under Order 22 Rule 10 of the Code of Civil Procedure?

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनाये जाने तथा आदेश 22 नियम 10 के अंतर्गत प्रतिस्थापित करने में क्या भेद है?

(05 Marks)

Q. 9 A suit is filed with the plaint averments that the plaintiff is a Central Government employee working in the postal department. The plaintiff claims that the employees junior to him have been promoted. However, in spite of being senior in rank, promotion of the plaintiff has been withheld without any reason. The defendant department appears in the suit. The department files an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure. The department pleads that on the basis of the averments made in the plaint, the suit is barred by law i.e. the Central Administrative Tribunal Act, 1985, which says that for the service matters of the Central Government employee, suit is barred. Write an order on the application.

एक वाद, वादपत्र के इन कथनों के साथ दायर होता है कि वादी डाक विभाग में कार्यरत केन्द्र सरकार का कर्मचारी है। वादी के कथन हैं कि उससे कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति हो गयी है किन्तु वरिष्ठ होने के उपरान्त भी अकारण ही वादी की पदोन्नति रोक दी गयी है। प्रतिवादी विभाग वाद में हाजिर आता है। विभाग के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया जाता है। विभाग के द्वारा यह कथन किये जाते हैं कि वादपत्र के कथनों के आधार पर ही यह वाद विधि, जो कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 है, और जो यह कहती है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा से संबंधित वाद बाधित होंगे, से बाधित है। प्रार्थना पत्र पर आदेश लिखिये।

(05 Marks)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (30 Marks)

Q. 10 Explain the principles for registration of First Information Report in the light of the Constitution Bench judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of ***Lalita Kumari vs. Government of Uttar Pradesh & others***, reported in ***(2014) 2 SCC 1***.

माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधानिक पीठ के द्वारा ***ललिता कुमारी बनाम् उत्तर प्रदेश सरकार, (2014) 2 एस0सी0सी0 1*** के मामले में पारित निर्णय के दृष्टिगत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आइ0आर0) दर्ज करने के सिद्धान्तों को सपष्ट कीजिए।

(05 Marks)

Q. 11 Write short notes on the following:

i. Distinguish between compounding of offences, and plea bargaining.

ii. Scope of Section 319 Cr.P.C.

iii. Explain the procedure for trial of warrant cases and summon cases.

iv. Use of statement under Section 161 Cr.P.C. during criminal trial.

v. Right of a complainant / victim to file an appeal under Section 372 Cr.P.C.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

क. अपराधों का शमन और अभिवाक सौदेबाजी में अंतर बतायें।

ख. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का विषय क्षेत्र।

ग. समन मामलों और वारन्ट मामलों के विचारण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए।

घ. आपराधिक विचारण के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के कथनों का प्रयोग।

ङ. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अंतर्गत परिवादी/पीड़ित के अपील करने का अधिकार।

(02 x 05 = 10 Marks)

Q. 12 At the time of framing of Charge, the accused files evidence in defence, and pleads that in light of the evidence so filed, the allegations in the charge-sheet and its enclosures, no offence is made out. Accordingly, the accused submits that there are no sufficient grounds to frame the charge. Thus, he should be discharged. Can the accused be so discharged? Discuss with reasons.

आरोप विचरित होने के समय, अभियुक्त के द्वारा बचाव साक्ष्य दाखिल किया जाता है, और कथन किया जाता है कि, दाखिल साक्ष्य के दृष्टिगत, आरोप–पत्र और उसके संलग्नकों में वर्णित आरोपों के आलोक में कोई अपराध नहीं बनता है। तद्नुसार अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया जाता है कि आरोप विचरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। अतः उसे उन्मोचित कर दिया जाना चाहिए। क्या अभियुक्त को इस प्रकार उन्मोचित किया जा सकता है? तर्कों के साथ विश्लेषण कीजिए।

(05 Marks)

Q. 13 A special penal law is enacted by the Parliament, which defines only the offences and prescribes the punishments. No procedure for the investigation, inquiry and trial of the offences is given in the Act. Which law, in such case, would apply so far as the investigation, inquiry and trial of the offences and other procedural aspects are concerned? Give the answer with legal provision.

संसद के द्वारा एक विशेष दण्ड विधि पारित की जाती है, जिसमें केवल अपराधों को परिभाषित किया जाता है और दण्ड के उपबंध रखे जाते हैं। अपराधों के अन्वेषण, जॉच और विचारण के संबंध में कोई प्रक्रिया नही दी जाती है। उक्त दशा में, अन्वेषण, जॉच और विचारण, तथा अन्य प्रक्रिया के संबंध में कौन सी विधि लागू होगी ? विधिक उपबंधों के साथ उत्तर दीजिए।

(05 Marks)

Q. 14 Section 273 of the Code of Criminal Procedure provides that evidences in the trial must be taken only in presence of the accused or his counsel. However, there are certain exceptions, which are provided in the Code. Discuss such exceptions, and give justifications for such exceptions.

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में यह प्राविधान है कि अभियुक्त या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही साक्ष्य लिये जाने चाहिए। किन्तु इसके भी कुछ अपवाद हैं, जिनका उल्लेख संहिता में है। इन अपवादों का विश्लेषण करें और उन अपवादों के औचित्य बतायें।

(05 Marks)

LEGAL DRAFTING (10 Marks)

Q. 15 Father of two brothers, Rajesh Kumar and Arun Kumar, was sole owner in possession of one land measuring 200 square meters. This land is Plot No. 123, Adarsh Nagar Colony, Haldwani, District Nainital. The father purchased this plot in the year 2002 by a registered sale deed dated 14.10.2002. During his lifetime, father gifted the said plot to his son Rajesh Kumar by way of one registered gift deed dated 25.05.2019. Except these two brothers, there is no other natural legal heir of the father.

In spite of the registered gift deed, and the exclusive title of Rajesh Kumar over the property, his brother Arun Kumar transfers one half undivided part of the plot to one Shri Prakash Singh for Rupees Ten Lakh. This is done by a registered sale deed dated 15.06.2021. Now, on the basis of the sale deed, Prakash Singh tries to take joint possession over the plot, and also tries to raise construction. When these facts come in the notice of Rajesh Kumar, he tries to stop Prakash Singh, but he refuses. He does not honour the registered gift deed. He contends that on the basis of the registered sale deed, he is the joint owner of the plot, and has one-half share.

Rajesh Kumar files a civil suit for cancellation of the sale deed dated 15.06.2021 and perpetual injunctions to restrain Prakash Singh. Suit is filed in the Court of Civil Judge (Senior Division), Haldwani. Arun Kumar and Prakash Singh are made defendants in the suit. To restrain Prakash Singh from interfering in possession over the land, and to restrain him from raising the construction during pendency of the suit, Rajesh Kumar also moves an application for temporary injunction. He files copies of the registered sale deed dated 14.10.2002, and registered gift deed dated 25.05.2019 to support the application.

Prakash Singh files objections, and says that on the basis of the registered sale deed, he is the joint owner of the property. He further says that he has rights over the land, and can raise the construction. He files copy of the registered sale deed dated 15.06.2021 to support his objections.

Write an order on the aforesaid application for temporary injunctions. For writing the order, other necessary details and dates like date of incident at the plot, date of the order etc. may be mentioned by the candidates themselves.

राजेश कुमार और अरूण कुमार, दो भाईयों के पिता एक जमीन क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर के एक मात्र काबिज स्वामी थे। यह जमीन प्लॉट संख्या 123, आर्दश नगर कालोनी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, है। पिता ने यह जमीन वर्ष 2002 में एक पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.2002 के द्वारा क्रय की थी। अपनी जीवन काल में पिता ने एक पंजीकृत दान–पत्र दिनांक 25.05.2019 के माध्यम से यह जमीन अपने पुत्र राजेश कुमार को दान कर दी। इन भाईयों के अलावा, पिता का कोई अन्य वारिस नहीं है।

पंजीकृत दान–पत्र और राजेश कुमार का सम्पत्ति पर तन्हा स्वामित्व होने के उपरान्त भी उसके भाई अरूण कुमार ने जमीन के आधे अविभाजित भाग का अन्तरण दस लाख रूपये में किसी प्रकाश सिंह को कर दिया। यह अन्तरण एक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2021 के माध्यम से किया गया। अब विक्रय पत्र के आधार पर प्रकाश सिंह के द्वारा जमीन का सह–कब्जा लेने और उस पर निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। जब राजेश कुमार को इसकी जानकारी होती है, तो उसके द्वारा प्रकाश सिंह को रोकने का प्रयास किया जाता है, किन्तु उसके द्वारा मना कर दिया जाता है। उसके द्वारा पंजीकृत दान–पत्र को मानने से इनकार कर दिया जाता है। वह कहता है कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वह जमीन का सह–स्वामी है और उसका आधा हिस्सा है।

राजेश कुमार के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2021 को रद्द करवाने और प्रकाश सिंह को रोकने के लिए शाश्वत व्यादेश हेतु वाद योजित किया जाता है। यह वाद न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) हल्द्वानी में दायर किया जाता है। अरूण कुमार और प्रकाश सिंह को वाद में प्रतिवादी बनाया जाता है। वाद लंबित रहने की अवधि में प्रकाश सिंह को जमीन के कब्जे में हस्तक्षेप करने और निर्माण करने से रोकने के लिए राजेश कुमार के द्वारा अस्थाई व्यादेश हेतु एक प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया जाता है। उसके द्वारा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.2002, एवं पंजीकृत दान–पत्र दिनांक 25.05.2019 की प्रतियों को दाखिल किया जाता है।

प्रकाश सिंह के द्वारा आपत्ति दाखिल की जाती है, और कहा जाता है कि पंजीकृत विक्रय–पत्र के माध्यम से वह सम्पत्ति का सह–स्वामी है। वह यह भी कथन करता है कि उसके पास जमीन के अधिकार हैं और वह निर्माण कर सकता है। वह पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2021 की प्रति अपनी आपत्ति के समर्थन में दाखिल करता है।

अस्थाई व्यादेश के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश लिखें। आदेश लिखने के लिए, अन्य आवश्यक विवरण और प्लाट पर घटित घटना की तिथि, आदेश की तिथि इत्यादि का उल्लेख अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं किया जा सकता है।

(10 Marks)

****